न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)

मिसल नम्बर – 51/2023 तारीख – रजु 03.03.2023

उनवान

1. सोनिया पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति धाकड़ साकिन निमेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।

– प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर, तहसील–टोड़ारायसिंह

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

दिनांक : 20.05.2024

आदेश

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1372 रकबा 0.06 है0, 1636/1336 रकबा 0.72 है0, 1638/519 रकबा 0.82 है0, 531 रकबा 0.06 है0 कुल किता– 4 कुल रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम निमेड़ा तह. टोड़ारायसिंह में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पूर्व में मेड पड़ी हुई थी, जो वर्तमान में खुर्द–बुर्द हो चुकी है तथा आराजी के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके है। इस कारण वादग्रस्त आराजी के पड़ौसी खातेदारान सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसकर कब्जा करना चाहते है, जिससे आए दिन लड़ाई–झगड़े होते रहते है। मौके पर कभी भी गंभीर वारदात कर सकते है। इस कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के मुस्तकील मुटाम कायम कर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार, टोड़ारायसिंह को निवेदन किया तो उन्होंने पत्थरगढ़ी करने से इंकार कर दिया। जिस पर यह प्रार्थना–पत्र कायम किये जाने, सीमाचिन्ह पत्थरगढ़ी हेतु न्यायालय हाजा मे पेश करना आवश्यक हुआ।

विवाद मूल व प्रार्थना–पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त आराजी खसरा नं. 1372 रकबा 0.06 है0, 1636/1336 रकबा 0.72 है0, 1638/519 रकबा 0.82 है0, 531 रकबा 0.06 है0 कुल किता– 4 कुल रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम निमेड़ा तह. टोड़ारायसिंह को आवश्यक आदेश व निर्देश प्रदान करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में मंगवाई जाये।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया गया है। आराजी खसरा नं. 1372 रकबा 0.06 है0, 1636/1336 रकबा 0.72 है0, 1638/519 रकबा 0.82 है0, 531 रकबा 0.06 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। किसी न्यायालय का स्थगन नही है। ना ही कोई वाद विचाराधीन है।

अभिभाषक व पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2073–76 वाके ग्राम निमेड़ा तह. टोड़ारायसिंह की खतौनी संख्या 404 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जवाब वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1372 रकबा 0.06 है0, 1636/1336 रकबा 0.72 है0, 1638/519 रकबा 0.82 है0, 531 रकबा 0.06 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। खातेदारान के कब्जेकाश्त की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के प्रार्थीगण हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, टोड़ारायसिंह को निर्देश है कि आराजी खसरा नं. 1372 रकबा 0.06 है0, 1636/1336 रकबा 0.72 है0, 1638/519 रकबा 0.82 है0, 531 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम निमेड़ा तह. टोड़ारायसिंह में प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पड़ौसी खातेदारान की मौजूदगी उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, टोड़ारायसिंह को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:33:28 IST
Reason: SelfAttested

20/05/2024

(शिवराज मीणा)
उपखण्ड [illegible]
टोडा[illegible]

Scanned with OKEN Scanner